174

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1481-तीन/1998 - विरूद्ध आदेश दिनांक 18-6-1998 - पारित द्वारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 14/1997-98 निगरानी

श्रीमती धनउआ पत्नि लल्लाप्रसाद पुत्री छोटका
ग्राम खरकटा तहसील चितरंगी जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 14/1997-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-6-1998 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोइार स्थित भूमि सर्वे कमांक 230/2 रकबा 2.16 एकड़ का भूमिस्वामी छोटका पुत्र सुखई अहिर था। इस भूमि पर कच्ची विक्रय टीप के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 24 पर आदेश दिनांक 22-10-1975 से आवेदक का नामांतरण स्वीकार हुआ। छोटका की अन्य पुत्रियॉ दिलउआ एंव मनउआ ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह तीन वहिनें हैं किन्तु पैत्रिक भूमि पर मात्र आवेदक का फर्जी नामान्तरण किया गया है इसलिये भूमि 1/3 हिस्सों में नामांत्रित की जावे। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा

ने शिकायती तथ्यों की जॉच नायव तहसीलदार चितरंगी से कराई। जांच प्रतिवेदन दिनांक 26-7-96 प्राप्त होने पर प्रकरण कमांक 14/97-98 स्व. निगरानी पॅजीबद्व किया तथा आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21-11-97 जारी किया गया। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 14/1997-98 निगरानी में आदेश दिनांक 18-6-1998 पारित किया तथा प्रकरण तहसीलदार चितरंगी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि मृतक छोटका की तीनों पुत्रियों को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तरण कार्यवाही की जाय। इसी आदेश से असंतष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ शासन के पैनल लायर द्वारा बताया गया कि विचाराधीन निगरानी में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है क्योंकि आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रकरण में दिलउआ एंव मनउआ पुत्रियां छोटका शिकायतकर्ता होकर सम्बद्व पक्षकार हैं जिन्हें निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आयुक्त रीवा संभाग ने स्वस्तर से प्रकरण सॅज्ञान में लेकर स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व की है जिसके कारण केवल शासन ही हितबद्व पक्षकार माना जायेगा। दिलउआ एंव मनउआ को पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 14/1997-98 निगरानी के अवलोकन पर स्थिति यह है कि छोटका की पुत्रियॉ दिलउआ एंव मनउआ ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह तीन वहिनें हैं किन्तु पैत्रिक भूमि पर मात्र आवेदक का फर्जी नामान्तरण किया गया है इसलिये भूमि 1/3 हिस्सों में नामांत्रित की जावे एंव आयुक्त संभाग ने आदेश दिनांक 18-6-1998 में भी तहसीलदार चितरंगी को निर्देश दिये है कि तीनों

पुत्रियों को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तरण कार्यवाही की जावे। स्पष्ट है कि छोटका की पुत्रियॉ दिलउआ एंव मनउआ प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें आवेदक ने पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके कारण पक्षकारों का असंयोजन होने से विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ न्यायदान की दृष्टि से यदि प्रकरण में गुणदोष के आधारों पर विचार किया जाय - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 18-6-1998 में मृतक छोटका की तीनों पुत्रियों को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तरण कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है एंव तहसील न्यायालय में प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को पक्ष समर्थन का तथा दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 14/1997-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-6-1998 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर